अब पार्षद मद से 15 लाख तक के कार्य :

पटना, जागरण संवाददाता : नगर निगम के वार्ड पार्षदों के अनुशंसा वाली योजनाओं को नगर आयुक्त ने कार्यान्वयन के लिए हरी झंडी दे दिया है। सभी वार्ड में पार्षदों के अनुशंसा वाली 15-15 लाख की योजनाएं समय पर पूरी हो इसके लिए राशि उपलब्ध करा दिया है। नगर आयुक्त पंकज कुमार पाल ने निगम के होल्डिंग टैक्स का सर्वेक्षण और कर निर्धारण के साथ विकास योजनाओं को अमल में लाने का आदेश दिया है। क्या है 15 लाख की योजनाएं नगर निगम बोर्ड ने वर्ष 2010-11 में वार्ड पार्षदों की अनुशंसा पर 15 लाख की योजनाओं का कार्यान्वयन कराने का निर्णय लिया था। इसमें गली-मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट, मैनहोल व कैचपिट मरम्मत, नाला निर्माण, सड़क और चापाकल गाड़ने की योजना शामिल है। समय पर योजना का कार्यान्वयन नहीं होने के कारण उप-महापौर विनय कुमार पप्पू ने पटना उच्च न्यायालय में एक लोकहित याचिका दायर किया था। इस बीच नये नगर आयुक्त पंकज कुमार पाल ने लंबित विकास योजनाओं को गंभीरता से लेते हुये कार्यान्वयन के लिए राशि उपलब्ध करा दिया है। उप-महापौर श्री पप्पू ने नगर निगम नागरिक सेवाओं के विस्तार की दिशा में पहल किया है। इससे शहर की सफाई, सौंदर्यीकरण और गलियों में पसरा अंधेरा जल्द ही दूर होगा। उन्होंने नगर आयुक्त से आने वाले गर्मी के मौसम के पूर्व जलापूर्ति व्यवस्था समय रहते दुरूस्त कराने का सुझाव दिया है।